

कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, किशनगंज

(जिला स्थापना प्रशाखा)

:- आदेश :-

प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्य हित में जिला राजस्व प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में श्री जन्मेजय शुक्ल, वरीय उप समाहर्ता, किशनगंज कार्य करेंगे।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

ह./-

(आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.)  
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता,  
किशनगंज।

- ज्ञापांक 676 /जि.स्था., किशनगंज, दिनांक 18 .12.2013
- प्रतिलिपि :- श्री जन्मेजय शुक्ल, वरीय उप समाहर्ता, किशनगंज/श्री शशि शेखर, वरीय उप समाहर्ता, किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता/अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन/निदेशक, डी.आर.डी. ए./एन.ई.पी./अनुमंडल पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदा./सिविल सर्जन/जिला नीलाम पत्र पदा./जिला शिक्षा पदाधिकारी/सचिव, जिला शहरी विकास अभिकरण/भूमि सुधार उप समाहर्ता/वरीय उप समाहर्ता, जिला सामान्य/गोपनीय/विधि/राजस्व/जिला सामाजिक सुरक्षा/जिला आपदा/कोषागार पदा./जिला अवर निबंधक/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा/एम.एस.डी.पी./जिला योजना पदाधिकारी/जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदा./उप निर्वाचन पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला आई.टी. प्रबंधक, किशनगंज को सूचनार्थ एवं जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(आदित्य कुमार दास)

जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता,  
किशनगंज।